कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 4257 /पटना, दिनांक 24.5.17
5/नि॰ अंके॰ अरा॰ पदा॰ स्था॰ – 58/2016

प्रेषक,

अखिलेश कुमार,
जन सम्पर्क पदाधिकारी,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी,
सहयोग समितियाँ, रोहतास, सासाराम।

विषय :– अंकेक्षक संवर्ग के कर्मी को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लेखा पदाधिकारी – मुख्य परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 128 एवं 129 दिनांक 08.05.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में कहना है कि निम्नांकित अंकेक्षक के नाम के समक्ष अंकित कारण से उनके संबंध में विभागीय अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण है–

क्र॰	अंकेक्षक का नाम	त्रुटि का व्योरा	अभ्युक्ति
1.	श्री विश्वजीत कुमार	नवनियुक्त। प्रारंभिक परीक्षा के समय किसी सरकारी सेवा में थे या नहीं, इसकी सूचना इनके आवेदन से प्राप्त नहीं होती है।	
2.	श्री राम जी साह	नवनियुक्त। प्रारंभिक परीक्षा के समय उच्च वर्गीय लिपिक, समाहरणालय, गया के पद पर कार्यरत थे। परन्तु प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपने तत्कालीन नियुक्ति प्राधिकार से अनापत्ति प्राप्त की गई या नहीं, यह आवेदन से स्पष्ट नहीं है।	

अतः त्रुटि निराकरण करते हुए एतद् संबंधी प्रस्ताव पुनः शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

Rinh

विश्वासभाजन

24/05/17

(अखिलेश कुमार)
जन सम्पर्क पदाधिकारी,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।